न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 232/2019

प्रार्थी :-

1. बींजीया पुत्र लीबीया कौम भील निवासी कुडी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :-

1. ग्राम पंचायत कुडी, भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

अधिवक्तागण :- 1 श्री चेलाराम कुमावत प्रार्थीगण वकील

2 पेरोकार सरकार

आदेश दिनांक :- 19.08.2021

प्रार्थीग यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत के खसरा संख्या 377/90 रकबा 06.02 बीघा में आने जाने हेतु खसरा संख्या 382/98 रकबा 14.07 बीघा गैर मुमकिन गोचन खातेदार ग्राम पचांयत कुडी सें आवागमन उपयोग हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाये है उससे विप्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा न0 382/98 में सलंग्न नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग लाल रास्ता 30 फिट चौडा कटाण रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी की और से ग्राम पंचयत कुडी से सम्मन बाद तामि पेश हुआ। तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/734 दिनांक 06.04.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा [illegible] मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा कुडी में आवेदक [illegible] दारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 377/90 [illegible] 06.02 बीघा के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आ[illegible] खसरा नम्बर 382/98 रकबा 14.07 बीघा खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड दर्ज [illegible] में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है । प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 133790/ रूपयें प्रति बीघा/है। रास्ते हेतु कुल रकबा 03.बिस्वा 08 बिस्वासी भूमि बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:42:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना पेरोकार सरकार की भी बहस सुनी गईएवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा कुडी के खेत खसरा न0 382/98 जो पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल रकबा 01.15 बीघा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा कुडी के खसरा संख्या 382/98 रकबा 14. 07 बीघा की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है। पेरोकार सरकार ने भी चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति करने पर रास्ता घोषित करने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मौजा कुडी मौजा कुडी पटवार हल्का कुडी तहसील जिला बाडमेर के खसरा खसरा न0 377/90 रकबा 06.02 बीघा में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 382 रकबा 98 बीघा किस्म गैर0 मुमकिन गोचर मे से 3 विस्वा 08 विस्वासी भूमि रास्ते की अनुमति प्रदान की जाती है, गोचर भूमि के समीप ही प्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा स0 377/90 मे से 3 विस्वा 08 विस्वाशी को चारागाह घोषित की जाती है, तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 08.2.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढ़ा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:42:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner